

मूल्य - एक रुपया (Re. 1/-)

फार्म अ-1

सर्वजनिक वितरण प्रणाली (निबंधन) आदेश 2001 के खण्ड 4 तथा अनुलग्नक के पैरा 2 के बिन्दु 9 के अनुसार राशनकार्ड पहचान के दस्तावेज हेतु प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

राजस्थान सरकार

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग

सामान्य (ए.पी.एल.) श्रेणी का नवीन राशन कार्ड बनवाने हेतु आवेदन पत्र

कार्यालय उपयोग हेतु
आवेदन क्रमांक आवेदन की तिनांक
नया राशन कार्ड सं.

फोटो आवेदक (मुखिया)
(सत्यापित करावे)
3.5 x 3 सेमी

मतदाता पहचान पत्र क्रमांक :
उचित मूल्य की दुकान का नाम :
पुराने राशन कार्ड का क्रमांक :
सामाजिक आर्थिक जाति जन. क्रमांक :

ग्राम व पोस्ट
जिला
PIN

स्थायी पता (यदि वर्तमान से भिन्न हो तो)
मोहल्ला
तहसील
राज्य

वर्तमान पता *
(लेण्डमार्क / मोहल्ला / कॉलोनी / टाणी)
आवास * : स्वयं का मकान किरायेदार अस्थायी बेघर
मौजूदा पते पर रहने की अवधि वर्ष माह

2. मुखिया व पूरे परिवार का विवरण (क्रम सं. 1 पर मुखिया का नाम व अन्य जानकारी ही भरी जावे)

(परिवार में सदस्यों की संख्या 8 से अधिक होने पर क्रम सं. 9 से आगे की सूचना अलग पृष्ठ पर पते के साथ देवे)

क्र. सं.	नाम*	माता का नाम*	पिता का नाम*	जीवन साथी का नाम (केवल विवाहित सदस्य हेतु)	लिंग* M/F/Other	जन्म तिनांक*	मुखिया से संबंध*	यूनिक आईडी क्रमांक (UID)	विकलांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1							स्वयं		
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									

(नोट- * विहित सूचना आवश्यक रूप से भरी जानी है)

